भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर केस नं0 26/2015–16

खगेन्द्र महतो ....वादी

बनाम्

अमीन सोरेन ....प्रतिवादी

–:आदेश:–

25/01/2025

अभिलेख उपस्थापित। वर्तमान प्रक्रिया खगेन्द्र महतो पे0 स्व0 काली राम महतो, साकिन व पोस्ट–पीपरा, ने मौजा पीपरा, थाना नं0–130, 191 जमांबंदी नं0 21 दाग नं0–1169 रकवा–00–00–10 दस धुर बने मकान से अमीन सोरेन को उच्छेद कर दखल दिलाने हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद में अंचलाधिकारी पथरगामा से प्रतिवेदन की माँग की गई थी। अंचल अधिकारी पथरगामा के द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा गया कि प्रश्नगत मौजा पीपरा, जमाबंदी नं0–21 दाग नं0–1169 रकवा–00–00–10 धुर जमीन से प्रस्तुत वाद के आवेदक खगेन्द्र महतो को आर0ई0आर0 केस नं0–06/2004 अमीन सोरेन बनाम् खगेन्द्र महतों को उच्छेदकार अमीन सोरेन को दखल दिहानी का आदेश प्राप्त हुआ है।

अंचलाधिकारी पथरगामा नें यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रस्तुत वाद को आवेदक खगेन्द्र महतो के द्वारा उपरोक्त वर्णित आर0ई0आर0 केस नं0–06/2004 में दिनांक– 05.08.2006 के पारित आदेश के विरूद्ध श्रीमान उपायुक्त महोदय के न्यायालय का आर0एम0केस नं024/2006–07 खगेन्द्र महतो के द्वारा अपील दाखिल किया गया था। जिससे श्रीमान उपायुक्त महोदय के द्वारा खारिज कर आर0ई0आर0 केस नं0–06/2004 में दिनांक–05.08.2006 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश को बरकरार रखा है।

इस प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट है कि आदेश के अनुपालन में दिनांक–10.03.2015 को आवेदक खगेन्द्र महतो को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करते हुए विपक्षी अमीन सोरेन को विधिवत दखल भी दिला दिया गया है।

आवेदक के द्वारा दिनांक–06.07.2024 को प्रस्तुत वाद में वाद वापसी हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन के आलोक में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त तथ्यों के आलोक में मुकदमा आगे नहीं लड़ना चाहते है, विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन एवं विज्ञ अधिवक्ता का कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन पर पूर्व में ही श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 केस संख्या 06/2004 द्वारा आवेदक को उच्छेद किया गया है। जिसमें श्रीमान उपायुक्त महोदय द्वारा अपने आर0एम0केस नं0–24/2006–07 द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया है एवं आदेश के अनुपालन में विपक्षी अमीन सोरेन को प्रश्नगत जमीन पर दखल दिहानी दिला दिया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक के वाद वापसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पथरगामा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.02.08 15:06:46 +05:30
Location: 192.168.29.124

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।